(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना संख्या-02/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 16 अप्रैल, 2018

विषयः आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के एक्जिम कोड 0713 के तहत काबुली चना, बंगाल ग्राम (देसी चना) और अन्य के लिए आयात नीति के निर्धारण हेतु नए एचएस कोडों को शामिल करने के संबंध में।

सा0 आ0 (अ0): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के एक्जिम कोड 0713 के तहत काबुली चना, बंगाल ग्राम (देसी चना) और अन्य के लिए आयात नीति के निर्धारण हेतु नए एचएस कोडों को शामिल करती है, जो निम्नानुसार हैं:

एक्जिम कोड	मद का विवरण	नीति	नीतिगत शर्तें
0713 20 10	काबुली चना	मुक्त	
0713 20 20	बंगाल ग्राम (देसी चना)	मुक्त	
0713 20 90	अन्य	मुक्त	

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** काबुली चना, बंगाल ग्राम और अन्य के लिए नए एक्जिम कोडों को आईटीसी (एचएस), 2017 में शामिल करने हेतु अधिसूचित किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/89/180/07/एएम–18/पीसी–2(क)/ई–6363 से जारी]